प्रिलिम्स फैक्ट्स: 17 दिसंबर, 2020

- [हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की मान्यता के लिये योजना]

हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की मान्यता के लिये योजना

Scheme for Approval of Hygiene Rating Audit Agencies

हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद (**Quality Council of India-** QCI) स्वच्छता रेटिंग ऑडिट एजेंसियों (**Hygiene Rating Audit Agencies-** HRAA) को मंज़ूरी देने के लिये एक योजना लेकर आई है।

- यह कदम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India's- FSSAI) की खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना का एक हिस्सा है।

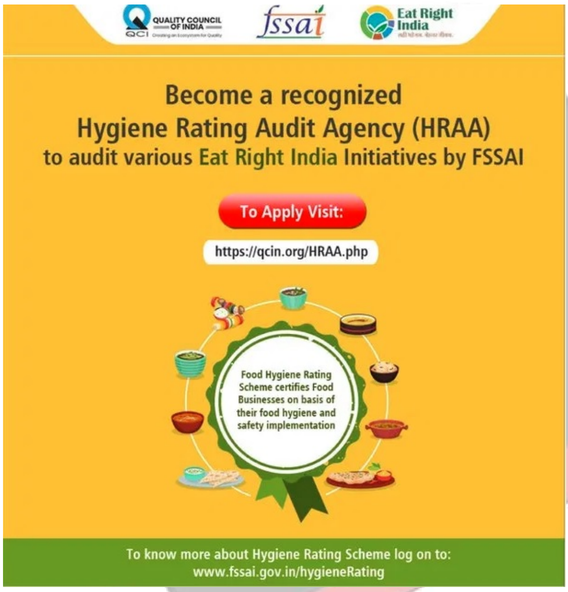

//

प्रमुख बिंदु:

योजना के संबंध में:

- यह देश में मान्यता प्राप्त HRAA की संख्या को बढ़ाकर **स्वच्छता रेटिंग में वृद्धि करेगी**।
- मान्यता प्राप्त HRAA खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और प्रक्रियाओं के बारे में FSSAI द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की पुष्टि करेगी।

खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना:

- इसकी शुरुआत FSSAI द्वारा की गई थी। यह उपभोक्ताओं को सीधे या ऑफ-प्रिमाइस (Off-premise) भोजन की आपूर्ति करने वाले **खाद्य**

व्यवसायों के लिये एक प्रमाणन प्रणाली है।

- खाद्य स्वच्छता योजना उपभोक्ताओं ko जागरूक करने और खाद्य व्यापार ऑपरेटरों के मध्य स्वत: अनुपालन की संस्कृति विकसित करने में सहायक होगी।
- इससे खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ भोजन की मांग में भी बढ़ोतरी होगी।
- इसके अलावा भारतीय उपभोक्ताओं और खाद्य सेवा ऑपरेटरों के बीच आपसी विश्वास को मज़बूती प्रदान करने के साथ-साथ भोजन की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलेगी।
- इस प्रकार के मानक और उनके मूल्यांकन से उपभोक्ताओं द्वारा सेवा प्रदाताओं के समक्ष खाद्य भोजन की मांग में वृद्धि के साथ ही विश्वास को बढ़ावा मिलता है।
- यह योजना खाद्य पदार्थों की विक्री करने वाले प्रतिष्ठानों (जैसे- होटल, रेस्तराँ, कैफेटेरिया, ढाबों), मिठाई की दुकानों, बेकरी, मांस खुदरा स्टोर आदि पर लागू होती है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद

(Quality Council of India- QCI)

- वर्ष 1997 में स्थापित QCI भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी में संगठनों की स्थापना हेतु भारत सरकार का एक अग्रणी प्रयोग है।
  - भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के तौर पर की थी।
  - भारतीय उद्योग की QCI में तीन प्रमुख उद्योग संघों अर्थात् एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फिक्की (FICCI) को दर्शाया गया है।
- इस संगठन की स्थापना के अनुरूप प्रत्यायन निकायों के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन ढाँचे की स्थापना एवं उनके संचालन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता संवर्द्धन के क्षेत्र में प्रत्यायन उपलब्ध कराने व्यवस्था की गई थी।
- प्रत्यायन ढाँचे के तौर पर भूमिका अदा करने के अलावा यह '**राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड**' (National Accreditation Board for Certification Bodies- NABCB) द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्यायन सेवाओं के ज़रिये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (ISO 14001 शृंखला), **खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली** (ISO 22000 शृंखला) तथा उत्पाद प्रमाणन एवं निरीक्षण निकायों के संबंध में गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-17-december-2020